उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक A/1312/चार–12–5/2023 जबलपुर, दिनॉक 28/03/2023

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(म.प्र. राज्य के........समस्त)

विषयः–मध्यप्रदेश न्यायिक सेवायें(वेतन,पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण किये जाने हेतु सेवा पुस्तिका रजिस्ट्री को वापिस प्रेषित करने बावत्।

––000––

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि, म.प्र. न्यायिक सेवायें(वेतन,पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवा पुस्तिका पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण किये जाने हेतु सेवा पुस्तिका संलग्न आपकी ओर प्रेषित करते हुए, संबंधित अधिकारियों का पुनरीक्षित वेतन निर्धारण कर, सेवा पुस्तिका रजिस्ट्री को वापिस प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था, किन्तु आज दिनांक तक उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवा पुस्तिका रजिस्ट्री में अप्राप्त है।

उपरोक्त पुनरीक्षित नियम, 2022 के अंतर्गत उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति तिथि से पुनरीक्षित वेतन का निर्धारण रजिस्ट्री द्वारा किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि, उपरोक्त उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का पुनरीक्षित नियम,2022 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन निर्धारण करते हुए उसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में दर्ज कर विशेष वाहक के माध्यम से शीघ्र इस रजिस्ट्री को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि संबंधित अधिकारियों का उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति दिनांक से वेतन का पुनरीक्षित निर्धारण किया जा सके।

27.3.23

(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

डेमन